

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

27.11.2024 के

तारांकित प्रश्न सं. 33 का उत्तर

नेल्लोर में रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) का निर्माण

*33. श्री मड्डीला गुरुमूर्ति:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को नेल्लोर में वैकटचलम के पास आरयूबी के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और
- (ख) यदि हां, तो उक्त आरयूबी के पूरा होने की निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

नेल्लोर में रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) के निर्माण के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में श्री मड्डीला गुरुमूर्ति के तारांकित प्रश्न सं. 33 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): समपारों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल संबंधी कार्यों को स्वीकृत करना भारतीय रेल की एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। ऐसे कार्यों की रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा, रेलगाड़ियों की गतिशीलता तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर इसके प्रभाव और व्यवहार्यता आदि के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और तदनुसार कार्रवाई की जाती है।

रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलों, मंडल कार्यालय आदि सहित विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, रेलवे की अपनी आवश्यकताओं, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि द्वारा उठाई गई मांगों के आधार पर देशभर में ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के प्रस्ताव/अनुरोध/सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। चूंकि ऐसे प्रस्तावों/शिकायतों/सुझावों का प्राप्त होना एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए ऐसे अनुरोधों का केन्द्रीकृत सार-संग्रह नहीं रखा जाता है। बहरहाल, इनकी जांच की जाती है और व्यवहार्य एवं औचित्यपूर्ण पाए जाने पर समय-समय पर इन पर कार्रवाई की जाती है।

नेल्लोर में वेंकटचलम के निकट निचले सड़क पुल के प्रावधान के संबंध में, विजयवाड़ा - गुडूर स्टेशन तीसरी लाइन परियोजना के एक भाग के रूप में गुडूर-विजयवाड़ा खंड पर कि.मी. 155/12-14 पर समपार संख्या 106 के स्थान पर निचले सड़क पुल का कार्य शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, वेंकटचलम यार्ड में समपार संख्या 107 के स्थान पर 50 करोड़ रुपए की लागत से ऊपरी सड़क पुल के कार्य को भी स्वीकृत किया गया है।

ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल कार्यों का पूरा होना और उन्हें कमीशन करना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे समपारों को बंद करने के लिए सहमति देने में राज्य सरकारों का सहयोग, पहुंच मार्गों का संरेखण निर्धारित करना, सामान्य व्यवस्था आरेख को अनुमोदित करना, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, बाधक जनोपयोगिताओं को स्थानांतरित करना, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करना, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना/क्षेत्र विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने की अवधि आदि। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्यों के समापन समय को प्रभावित करते हैं।
